संपत्ति के मूल दस्तावेजों को वापस करना : एकमात्र ऋणकर्ता या संयुक्त ऋणकर्ताओं की मृत्यु की घटना की स्थिति में

चरण – 1

ऋण खाते की पूरी चुकौती/निपटान हो चुका हो (अर्तार्थ सभी बकाया मूलधन , ब्याज तथा अन्य कोई देय का भुगतान हो चुका हो)

चरण – 2

ऋणकर्ता का/के कानूनी उत्तराधिकारी निम्न दस्तावेज कंपनी के लखनऊ स्थित मुख्य कार्यालय में प्रस्तुत करेगा / करेंगे

1. प्रार्थना पत्र (सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित)
2. ऋणकर्ता का मृत्यु प्रमाणपत्र
3. किसी सक्षम अधिकारी ,जो तहसीलदार के पद से कम न हो , द्वारा निर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
4. सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के KYC दस्तावेज

यदि एक से अधिक उत्तराधिकारी हैं तो कंपनी किसी एक उत्तराधिकारी को अन्य उत्तराधिकारियों के अनापत्ति पत्र प्रदान करने पर संपत्ति के मूल दस्तावेजों वापस करेगी । इस उत्तराधिकारी को अपने मूल पहचान पत्र के साथ कंपनी के लखनऊ स्थित मुख्य कार्यालय में एक गवाह के साथ उपस्थित होना होगा । मूल दस्तावेजों के हतान्तरण के समय कंपनी पावती पत्र के साथ फोटो भी लेगी ।

कंपनी ऋण खाते की पूरी चुकौती/निपटान के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर संपत्ति के सभी मूल दस्तावेजों को वापस करेगी तथा मोर्टगेज का डिस्चार्ज करायेगी । कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा उपयुक्त दस्तावेज जमा न करने की दशा में यह अवधि मान्य नहीं होगी ।